



भारत सरकार Government of India
खान मंत्रालय Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines
100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun
(U.K.)248001
TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in

Violation Letter

E-MAIL / स्पीड पोस्ट



फाईल संख्या File No: MCDR-MiFLOLST/01 /2023 -DDN-
IBM

Mine Code:
38HPR10024

दिनांक:- 17.02.2024

सेवा में /To : श्री सुप्रियांक वालिआ,
संग्रह चूनापत्थर खान,
ग्राम व पोस्ट –ददाहू
तहसील –रेणुका जी
जिला-सिरमौर ,हि.प्र.

Email: waliaheadoffice.nahan@yahoo.com

विषय /Sub: हिमाचल प्रदेश में संगड़ाह तहसील-रेणुका जी, जिला-सिरमौर गांव के पास स्थित 8.05.55 हेक्टेयर क्षेत्र पर आपके संगड़ाह चूना पत्थर खदान, खनन पट्टे के संबंध में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन

महोदय /Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 08.01.2025 को श्री डी के सिन्हा, खान प्रबंधक की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	Mining Operation were not carried out in accordance with Review mining plan approved vide letter No. 614(2)/MP-B-284/08-DDN dated 23-02-2022 to the following extent: 1. During the year 2023-24, the development of benches was proposed in north east region with a height of 10 meters. However, during the inspection, the bench height was found to exceed 10 meters. 2. In the PMCP chapter, the fencing (283m) was not done as per the proposal.
45 (7)	In the submitted annual return of 2023-24 discrepancy are found as follows: i. It has been observed that you have submitted incomplete information by not providing the registration number of purchasers of mineral in the Annual returns. ii. It was observed that the dispatch from the mine head has been subtracted from the reserve as on 01.04.2023.

- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम - 2021 के तहत दंडनीय अपराध है | 45(7) का उल्लंघन नियम 62(2) एम सी डी आर संसोधन नियम 2021 के तहत दंडनीय है |
- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम - 2021 के तहत दंडनीय अपराध है |
- इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंधान की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है |
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय Yours faithfully,

(नितिन/Nitin)
कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Junior Mining Geologist
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र0). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

(नितिन/Nitin)
कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Junior Mining Geologist
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines